

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:कार्यालय आदेश:-

संख्या-06/वि0पत्रा0-24-34/2024

/पटना, दिनांक-

श्री मयंक प्रकाश, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर का दिनांक-09.01.2025 से 12.06.2025 तक कुल 155 (एक सौ पचपन) दिनों का उपार्जित/असाधारण अवकाश संबंधी आवेदन को राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से विभागीय हित के दृष्टिपथ को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश),

सरकार के अवर सचिव,

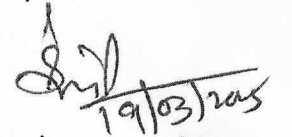
वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक-06/वि0पत्रा0-24-34/2024 1391

/पटना, दिनांक-21/03/25

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मयंक प्रकाश, राज्य-कर सहायक आयुक्त (66वीं बैच), भागलपुर अंचल-1, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/03/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।